कार्यालय

उप–निदेशक कारखाना, उ0प्र0
कंचनजंगा शॉपिंग काम्पलेक्स
सेक्टर–53, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
Email ID : ddf_noida@rediffmail.com

सेवा में,

दखलकार / डायरेक्टर,
मे0 रादनिक एक्सपोर्ट्स,
ई–2, सेक्टर–59.,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्या 3172 डीडीएफ / सम, गौतमबुद्धनगर, दिनांक: 12 · 12 · 2017

विषय: वर्ष 2018 हेतु नवीनीकृत समनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स पत्र) संख्या–**UPFA100000435.**

महोदय,

कृपया आपकी प्रार्थनानुसार कारखाने का समनुज्ञा, नवीनीकरण करने के पश्चात्, इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही सूचनीय है कि कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 के अन्तर्गत अगले वर्ष के लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0 के कर्यालय में 31 अक्टूबर तक ऑन–लाइन अवश्य पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क, नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त और देना पड़ेगा। इसकी अवहेलना किए जाने पर नियम–9 के उल्लंघन के फलस्वरूप दखलकार / प्रबन्धक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। लाईसेन्स के प्रार्थना पत्र के साथ पूर्णतया भरे हुए फार्म नं0–4(ख), तीन प्रतियाँ तथा निर्धारित शुल्क का मूल ट्रेजरी चालान (डिपाजिटर्स फार्म) तथा संलग्न समनुज्ञा–पत्र (लाईसेन्स), भेजना नितान्त आवश्यक है। यदि इन प्रपत्रों में कोई कमी हुई तो, आपके द्वारा भेजा हुआ प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण समय विलम्बित समझा जाएगा। आप इन मदों का समुचित ध्यान रखते हुए फार्म नं0–4 ख, को पूर्णतया ठीक–ठीक भर कर भेजें, ताकि व्यर्थ का पत्र व्यवहार न हो। समनुज्ञा नवीनीकरण हेतु लाईसेन्स फीस उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 के नियम–7 के अनुसार जमा की जाएगी। यदि फीस कम जमा की गयी तो, वह समय से न प्राप्त समझी जाएगी और नियमानुसार विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा।

कृपया भली–भॉति नोट कर लें कि समनुज्ञा के समय से नवीनीकरण कराने का पूर्ण उत्तरादायित्व प्रत्येक अवस्था में कारखाने के आकूपायर (दखलकार) का ही है। ***साथ ही कारखाने में सम्पादित हो रही औद्योगिक कियाकलापों की प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए कारखाने के आकूपायर की स्पष्ट जिम्मेदारी कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–7ए व सुरक्षा से सम्बन्धी अन्य उपबन्धों में निर्धारित है एवं कारखाना अधिनियम,1948 की धारा–92 के अन्तर्गत किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के लिये कारखाने के आकूपायर व मैनेजर ही जिम्मेदार व दण्डनीय हैं।***

नोट : कारखाने का लाइसेंस वर्ष 2018 हेतु इस निर्देश के साथ नवीनीकृत कि कारखाना प्रबन्धक, कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न फार्म नं0–21, 22 व वेतन संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत फार्म–IV क्रमशः दिनांक ...... 15. 7–2018 व 15–01–2018 तक निदेशक कारखाना, उ0प्र0, कानपुर एवं प्रति इस कार्यालय को प्राप्त करायेंगे।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0
नोएडा संभाग, गौतमबुद्ध नगर।

Labour Department, Uttar Pradesh

LICENCE UNDER
SECTION 6 OF
THE FACTORIES ACT, 1948
FORM No. 3
[RULE 7, (1)]
(Registration and Licence to Work a Factory)

Registration No:- **UPFA10000435** Fee:-

Old Registration No:- **NDA-2774**

Serial No..

Licence is herby granted to.**Shri Vinod Kapoor** valid only for the premises descrived below for use as factory employing not more than . **2500** persons on any one day during the year and using motive power not exceeding **1000** H.P. subject to the provisions of the Factory Act, 1948, and the rules made thereunder.

This licence shall remain in force till. **31/12/2018**.unless further renewed.

The Issuing date is **07/12/2017**

Chief Inspector of Factories, U.P.
(अनुराग श्रीवास्तव)
उप निदेशक कारखाना उ० प्र०
नोएडा सम्भाग, गौतमबुद्धनगर

Description of the Licenced Premises

The licenced Premises shown on plan no. **993** dated. **31/03/2006** .are situated in **Radnik Exports, E-2, Sector-59, Noida** , District :- **Gautam budh Nagar** and consist of the buildings shown on approved site plan.

Date of Renewal	Date of Expiry	Fee	Signature of Licencing Authority
1	2	3	4
01/01/2018	31/12/2018	24500.00	DDF Labour Dept.Division Office, Gautam Budh Nagar उप निदेशक कारखाना उ०प्र०

* This is a computer generated copy.